आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणीः तारीख–सहित

29/4/16

आदेश

विविध वाद संख्या–37/2010–11 सबिता कुमारी बनाम अनिता कुमारी का मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लु0जे0सी0 सं0–6932/2010 सबिता कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.01.2011 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा समाहर्त्ता, बांका के न्यायालय में दायर किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2011 को पारित आदेश का मुख्य अंश यह है कि–

"In the circumstances, the petitioner is given liberty to file a fresh representation before the District Magistrate, Banka in the matter, who shall get an enquiry held and shall consider the representation of the petitioner and pass appropriate orders in accordance with law ....."

आवेदन सुनवाई हेतु अंगीकृत कर विपक्षी को नोटिस दिया गया। विपक्षी अनिता कुमारी जो वर्त्तमान में आंगनबाड़ी सेविका है, उपस्थित हुई है तथा उन्होंने अपना जबाव व कागजातों की छायाप्रति अपने दावे के समर्थन में दाखिल किया है। यहाँ विवाद सेविका पद में किये गए चयन से संबंधित है।

निर्धारित तिथि पर उभय–पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने–अपने दावे के समर्थन में सविस्तार पक्ष रखा गया। सुना गया।

यह विवादित मामला वाल विकास परियोजना कार्यालय, फुल्लीडुमर, पंचायत–खेसर के आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–05 घियाही से संबंधित है। अभिलेख पर दाखिल कागजातों से यह ज्ञात होता है कि इस केन्द्र पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर मेधा सूची दिनांक 13.03.2007 को तैयार किया गया था। सेविका हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मेधा सूची इस प्रकार है–

क्र0	आवेदिका का नाम	मैट्रिक में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
01	रेवती कुमारी	444/700	63.43 %
02	सबिता कुमारी	351/700	50.10 %
03	अनिता कुमारी	432/900	48.00 %
04	अनिता कुमारी	409/900	45.00 %
05	कुमारी शर्मिला मंडल	482/800	60.02 %
06	मनीषा भारती	400/700	57.10 %

दिनांक 13.03.2007 को सेविका/सहायिका चयन हेतु आम सभा की बैठक की कार्यवाही के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–05 में बाहुल्य

वर्ग– पिछड़ा वर्ग (यादव) है, तथा कार्यवाही के अनुसार मेधा सूची क्रमांक 05 की अभ्यर्थी कुमार शर्मिला मंडल का आवेदन अस्वीकृत करने का तथ्य यह अंकित है कि इनके श्वसुर R.P.F. में कार्यरत है। मेधा सूची क्रमांक 06 की अभ्यर्थी मनीषा भारती के संबंध में कार्यवाही में यह दर्ज है कि आम सभा में अनुपस्थित है।

मेधा सूची की अभ्यर्थी कुमारी शर्मिला मंडल एवं मनीषा भारती द्वारा प्रश्नगत वाद में अपने दावे हेतु आपत्ति दर्ज नहीं की गई है और ना ही अन्तःक्षेपक के तौर पर आई है।

दिनांक 13.03.2007 को आम सभा की बैठक में सेविका/सहायिका के चयन के संबंध में बैठक सम्पन्न की गई तथा सेविका के लिए मेधा क्रमांक 01 की अभ्यर्थी रेवती कुमारी का चयन किया गया।

रेवती कुमारी चयनित सेविका द्वारा बाद में त्याग पत्र देने के फलस्वरूप सेविका के चयन के लिए दिनांक 12.05.2008 को पुनः आम सभा की बैठक की गई तथा मेधा सूची क्रमांक 03 की अभ्यर्थी अनिता कुमारी का चयन सेविका हेतु किये जाने के परिणामस्वरुप मेधा सूची क्रमांक 02 के अभ्यर्थी सबिता कुमारी विक्षुब्ध हुई एवं यह चयन विवादित हुआ जिसके संबंध में विचार किया जाना है।

दिनांक 12.05.2008 के आम सभा की कार्यवाही में इस तथ्य का जिक्र कर मेधा सूची क्रमांक 02 की अभ्यर्थी सबिता कुमारी के चयन पर विचार नहीं किया गया कि इनका मैट्रिक अंक पत्र वर्ष 2002 में कुल प्राप्तांक 351 है जो गलत है। वास्तविक में योग 356 होता है, ऐसी स्थिति में इनका अंक पत्र विवादास्पद एवं संदेहास्पद है, इनको सेविका पद में चयन से वंचित रखा जाता है। मेधा सूची क्रमांक 03 की अभ्यर्थी अनिता कुमारी मैट्रिक प्राप्तांक 432, प्रतिशत 48 का चयन सेविका पद पर किया जाता है।

सबिता कुमारी का मैट्रिक अंक पत्र, 2002 की छायाप्रति अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसमें कुल प्राप्तांक 351 दर्ज है। सबिता कुमारी के अंक पत्र में अतिरिक्त विषय (अष्टम पत्र) GMT है, जिसमें इनका प्राप्तांक 30 है।

अभिलेख पर प्रधानाध्यापक, माया रामस्वरुप प्राथमिक सह माध्यमिक संस्कृत विद्यालय, विष्णुपुर, शंभुगंज का दिनांक 09.09.2011 में निर्गत प्रमाण–पत्र के अनुसार अंक पत्र की कंडिका–03 में दिए गए नियमन में यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि अतिरिक्त विषय का 30 अंक छोड़कर ही योगांक मान्य होगा।

इस प्रकार प्रधानाध्यापक के प्रमाण पत्र के आधार पर सबिता कुमारी का मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र 2002 का कुल योगांक 326 होता है, परन्तु आम सभा की कार्यवाही दिनांक 12.05..2008 में अतिरिक्त विषय का अंक 30 को सम्मिलित कर कुल योग 351 के स्थान पर 356 समझा गया जो नियमन के आधार पर सही नहीं है।

यहाँ गौर योग्य तथ्य यह भी है कि मेधा सूची संधारण में मेधा सूची क्रमांक 02 की अभ्यर्थी सबिता कुमारी का मैट्रिक अंक पत्र, 2002 में कुल प्राप्तांक 351 को पूर्णांक 700 से भाग दिया गया है, जिसके आधार पर इनका प्राप्तांक 50.10 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि अतिरिक्त विषय (अष्टम् पत्र) के अंक को मेधा अंक तैयार करने में सम्मिलित नहीं

किया गया था। फलस्वरुप आम सभा की कार्यवाही दिनांक 12.05.2008 में सबिता कुमारी का कुल प्राप्तांक का योग 356 माना जाना सही नही था। परन्तु अतिरिक्त विषय के अंक 30 को छोड़कर सबिता कुमारी का वर्ष 2002 के अंक पत्र में प्राप्तांक मात्र 326 ही होता है, जो कुल प्राप्तांक 351 से मेल नहीं खाता है फलस्वरुप प्रथम दृष्टया यह संदेहास्पद माना गया एवं आम सभा की बैठक दिनांक 12.05.2008 में इन्हें सेविका पद पर चयन से वंचित रखा गया। आम सभा द्वारा ऐसी परिस्थिति में तत्समय लिया गया निर्णय उचित भी माना जा सकता है।

चयन ना होने से विक्षुब्ध सबिता कुमारी द्वारा आम सभा में उठाई गई आपत्ति के आलोक में अपने मैट्रिक अंक पत्र, 2002 में व्याप्त त्रुटि के परिमार्जन हेतु प्रयास किया गया तथा दिसम्बर 2008 में संशोधित अंक पत्र उन्हें प्रदान किया गया जिसे सबिता कुमारी द्वारा अभिलेख पर दाखिल किया गया है। संशोधित मैट्रिक अंक प्रत्र में सप्तम् पत्र गृह विज्ञान है में कुल लब्धांक 65 है, तथा कुल योग 351 है जबकि वर्ष 2002 के अंक पत्र में सप्तम् पत्र गृह विज्ञान में मात्र 40 लब्धांक दर्ज था तथा कुल प्राप्तांक 351 ही है।

सबिता कुमारी द्वारा दाखिल संशोधित अंक पत्र 2008 का सत्यापन कराया गया है तथा इसकी सम्पुष्टि परीक्षा नियंत्रक, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार पटना के पत्रांक 6945 दिनांक 12.12.2013 द्वारा की गई है कि अभिलेख प्रभारी के मंतव्य के आधार पर सप्तम् पत्र एच0एस0सी0 (गृह विज्ञान) में 65 अंक प्राप्त है एवं कुल योग प्राप्तांक–351 ही है।

इस प्रकार यह स्थापित होता है कि सबिता कुमारी द्वारा अपने मैट्रिक परीक्षा में कुल प्राप्तांक–351 प्राप्त किया गया था तथा प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर ही अपने चयन का दावा मेधा सूची के अनुसार कर रही है। आम सभा की कार्यवाही में प्रस्तुत अंक पत्र 2002 जिसमें त्रुटि थी में भी कुल प्राप्तांक 351 ही दर्ज था, तथा संशोधित अंक पत्र में भी कुल प्राप्तांक 351 ही प्रतिवेदित है।

मूल प्रश्न यह है कि अंक पत्र में प्राप्त कुल प्राप्तांक 351 के आधार पर सबिता कुमारी द्वारा दावा किया गया है। अंक पत्र में त्रुटि के लिए सबिता कुमारी जिम्मेदार नहीं थी और ना ही इनके द्वारा अंक पत्र में कोई कपट कार्य किया गया है। अंक पत्र निर्गत करने में संबंधित बोर्ड द्वारा त्रुटि की गई थी जिसका परिमार्जन कर सत्यापन कर दिया गया है।

अतः न्यायहित में विचारोपरान्त सबिता कुमारी का मेधा अंक प्रतिशत के आधार पर इन्हें सेविका पद में चयन का आदेश दिया जाता है तथा वर्त्तमान सेविका अनिता कुमारी जिनका मेधा अंक सबिता कुमारी से कम है का चयन निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति अनुपालनार्थ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका को भेंजे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

29.4.16

जिलापदाधिकारी,
बांका

29.4.16

जिला पदाधिकारी,
बांका